28.2.19 पत्रावली पेश हुई। बार संघ द्वारा हड़ताल/शोकसभा/ न्यायिक पैरवी कार्य स्थगित रखा गया है। पीठासीन अधिकारी महोदय चुनाव/अन्य राजकीय कार्य प्रवास/अवकाश में होने से पत्रावली दिनांक 11/4/19 को पेश हो।

आज्ञा से
रीडर
सहायक कलेक्टर मनोहरथाना

11-4-19 पत्रावली पेश हुई। बार संघ द्वारा हड़ताल/शोकसभा/ न्यायिक पैरवी कार्य स्थगित रखा गया है। पीठासीन अधिकारी महोदय चुनाव/अन्य राजकीय कार्य प्रवास/अवकाश में होने से पत्रावली दिनांक 16/5/19 को पेश हो।

हुक्म से
रीडर
सहायक कलेक्टर मनोहरथाना

16/5/19 पत्रावली पेश हुई। बार संघ द्वारा हड़ताल/शोकसभा/ न्यायिक पैरवी कार्य स्थगित रखा गया है। पीठासीन अधिकारी महोदय चुनाव/अन्य राजकीय कार्य प्रवास/अवकाश में होने से पत्रावली दिनांक 20/6/19 को पेश हो।

आज्ञा से
रीडर
सहायक कलेक्टर मनोहरथाना

20/6/19 – पत्रावली पेश। वकील वादी उप०/ वकील No. 1
वास्ते जवाब हेतु समय में एक पत्र/कार्यवाही
की जाती है। वकील वादी को दुका गया। पत्रावली
वास्ते जवाब दिनांक 16/07/19 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड़

16-7-19 RO दिनांक 13/8/19 को पेश हो।

13-8-19 पत्रावली पेश हुई। वाद वापी पत्र दर्ज
किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।
पत्रावली फैसल शुमार होकर नस्ती से
कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड़

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना जिला झालावाड

प्रकरण संख्या 42 / दावा / 18 तारीख दायरा 09.02.2018

उनवान

1. मन्नालाल पिता अमरा जाति तंवर निवासी सेमलीखुर्द तहसील मनोहरथाना

—वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड

— प्रतिवादीगण

वाद धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :— श्री केसरी सिंह पुष्पद अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक 13.08.2019

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जर्ये अधिवक्ता वाद अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट इस आशाय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम सेमलीखुर्द पटवार हल्का टोडरी जगन्नाथ तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या नया 88 पुरानी 94 की खसरा नम्बर 213 की 13 बिस्वा, 362 की 16 बिस्वा, 488 / 172 की 1.08 बीघा, 489 की 489 / 206 की 1.19 बीघा, 490 / 209 की 9 बिस्वा, 491 / 211 की 5 बिस्वा, 492 / 212 की 3 बिस्वा, 494 / 269 की 1 बिस्वा, 495 / 352 की 10 बिस्वा, 497 / 403 की 6 बिस्वा कुल 10 किता की 6 बीघा 10 बिस्वा आराजी वादी के खाते में दर्ज है। नकल जमाबन्दी सवत् 2070 से 2073 वाद पत्र के साथ संलग्न है। उक्त आराजी में वादी का नाम मनु पुत्र अमरा कोम लोधा दर्ज हो रहा है जो कि त्रुटि से गलत दर्ज हो गया है। जबकि वादी का वास्तविक नाम मन्नालाल पिता अमरा है तथा जाति भी तंवर है जो सही है।

वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर वादी को जर्ये संम्मन तलब किया गया। ग्राम सेमलीखुर्द पटवार हल्का टोडरी जगन्नाथ तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या नया 88 पुरानी 94 की कुल 10 किता की 6.10 बीघा आराजी में वादी का नाम मनु पिता अमरा जाति लोधा को दुरूस्त कर राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड के आधार पर वास्तविक नाम मन्नालाल पिता अमरा जाति तंवर किया जावे। राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तद्नुसार डिकी आदेश जारी हो, मिसल फैसलशुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद तामिल तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना जिला झालावाड़